

## कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्राक : अशा०(ब०) / १५२-५३ / मान्यता / 2018-19 दिनाक 21 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक / अध्यक्ष,  
मानस इन्टरनेशनल स्कूल,  
माजरीग्राम, डॉइवाला  
देहरादून।

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम 17 में उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया

आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक गे आपके विद्यालय मानस इन्टरनेशनल स्कूल, माजरीग्राम, डॉइवाला, देहरादून को प्राइमरी से कक्ष ४तक(अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु 03 वर्षों दिनाक 01.12.2018 से 01.12.2021 तक की अवधि के लिए रवीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त रवीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में आधीन होगी।

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कस्तोर एवं बंदित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा। परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. सख्त / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा। तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता / अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अधिकी के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे—
  - (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में शोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
  - (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की शारीरिक दड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।
  - (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे वो नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निश्वास / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
  - (छ) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधिक शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे, और
  - (सात) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्ययां एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक गे उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 गे उद्यूत मानकों एवं मानदंडों को घरकरार रखेगा। विद्यालय निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा—
  - विद्यालय-परिसर का संत्रफल;

MANAGER  
Manas International School  
Majri Grant, Haridwar Road  
Dehradun - Uttarakhand

Scanned by CamScanner

PRINCIPAL  
MANAS INTERNATIONAL SCHOOL  
MAJRI GRANT, HARIDWAR ROAD  
DOIWALA, DEHRADUN



- कुल निर्मित क्षेत्र,
  - खेल के मैदान का क्षेत्र,
  - कक्षा-कक्षों की कुल संख्या
  - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-मंडार कक्ष,
  - दालत कथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय
  - पेयजल की सुविधा,
  - मध्याहन मोजन के लिए रसोई-घर
  - घारारहित पहुँच,
  - उक्षण अधिगम सामग्री/खेल-मूल उपकरण/पुरतकालय की उपलब्धता।
- 11 इस मान्यता द्वारा केवल स्त्रीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कही विद्यालय संचालित नहीं होगा।
- 12 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल संकेत मतिविधि हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
- 13 विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
- 14 विद्यालय किसी व्यवित समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
- 15 लेखा का अकेला एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति, प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- 16 आपके विद्यालय को आवश्यक मान्यता कोड संख्या 997 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड का कृपया अकिञ्चित एवं उद्दृत किया जाए।
- 17 राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के रहर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- 18 यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- 19 परिषिष्ट-धार के स्पष्ट में संलग्न अन्य शर्तें।
- 20 यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

**नोट-** नोट- औपचार्य मान्यता के बिन्दु-

नियमानुसार आगामी सत्र डी०एल०प०७० शिक्षाकों की रैनाती करना सुनिश्चित करें। विद्यालय को मान्यता प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रशासन योजना उपलब्ध करानी आवश्यक है।

भवदीय  
  
(एस०बी०जोशी)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
देहरादून।

प०स० अशा(ब०) / मान्यता / 2018-19

तददिनांक :

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1 निदेशक, प्राश्निक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 2 मण्डलीय अपर निदेशक प्राश्निक शिक्षा, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
  - 3 लिता शिक्षा अधिकारी (प्रा०), देहरादून।
  - 4 जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदरमा।
  - 5 सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी का इस आशय से कि आर०टी०५० नियमावली 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकाता अधिकारी हैं अत अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर प्रशासन ने सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सके और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।

(एस०बी०जोशी)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
देहरादून।

**PRINCIPAL**  
MANAS INTERNATIONAL SCHOOL  
MAJRI GRANT, HARIDWAR ROAD  
DOIWALA, DEHRADUN

**MANAGER**  
Manas International School  
Majri Grant, Haridwar Road  
Bhaniyawala, Doiwala  
Dehradun - Uttarakhand

